मध्य प्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय,

वल्लभ भवन, भोपाल-462004

क्रमांक एफ 6-1/2015/एक/9 भोपाल, दिनांक 15 अप्रैल, 2015

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश।

विषयः-राज्य एवं जिला स्तर पर अधिकारियों/कर्मचारियों की स्थानांतरण नीति वर्ष 2015-16

--0--

राज्य शासन द्वारा राज्य एवं जिला स्तर पर वर्ष 2015-16 हेतु निम्नानुसार स्थानांतरण नीति निर्धारित की जाती हैः-

2/- प्रदेश में राज्य एवं जिला स्तर पर अधिकारियों/कर्मचारियों के पूरे वर्ष निरन्तर स्थानान्तरण करने पर प्रतिबंध लागू रहेगा। वर्ष 2015-16 के लिए दिनांक 15.4.2015 से 15.5.2015 तक की अवधि के लिए प्रतिबन्ध शिथिल किया जाता है। इस अवधि में प्रत्येक विभाग अपनी प्रशासनिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए स्थानांतरण कर सकेंगे।

3/- जो विभाग अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं के संबंध में अपने लिए पृथक स्थानांतरण नीति निर्धारित करना चाहेंगे, वे सामान्य प्रशासन विभाग की सहमति से ऐसा कर सकेंगे, परन्तु इस नीति के मुख्य प्रावधानों से अन्यथा नीति नहीं बनाई जायेगी।

4/- इन निर्देशों के अधीन जिला स्तर के संवर्गों के कर्मचारियों का जिले के अन्दर स्थानांतरण जिला कलेक्टर के माध्यम से **प्रभारी मंत्री के अनुमोदन उपरांत** विभागीय जिला अधिकारी के हस्ताक्षर से जारी किये जायेंगे।

5/- राज्य स्तर पर अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण सामान्य विभागीय प्रक्रिया के अन्तर्गत ही किए जाने चाहिए। द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के समस्त अधिकारी/कर्मचारियों के अन्तर-जिला स्थानांतरण विभागाध्यक्ष स्तर से, **विभागीय मंत्री के अनुमोदन उपरांत** एवं प्रथम श्रेणी के अधिकारियों के स्थानांतरण विभागीय प्रमुख सचिव/सचिव अथवा विभागाध्यक्ष के प्रस्ताव पर विभागीय मंत्री के अनुमोदन के बाद राज्य शासन स्तर से किए जा सकेंगे।

6 (1) प्रत्येक पद/संवर्ग में वर्ष में (प्रतिबंध अवधि सहित) अधिकतम निम्नानुसार स्थानांतरण किए जा सकेंगे-

क्रमांक	पद/संवर्ग की संख्या	अधिक्तम स्थानांतरण का प्रतिशत (पद/संवर्ग में कार्यरत संख्या के आधार पर)
1	200 तक	20 प्रतिशत
2	201से अधिक	40+200 से उपर का 10 प्रतिशत

(2) वन विभाग अवैध कटाई, अतिक्रमण तथा आपराधिक स्वरूप के प्रकरणों से संबंधित उपयुक्त (appropriate) मामलों में विभागीय मंत्री के अनुमोदन से स्थानांतरण के उपर्युक्त अधिकतम प्रतिशत से अधिक स्थानांतरण कर सकेगा।

(3) गृह विभाग में यदि पुलिस विभाग के अधिकारियों/ कर्मचारियों के निर्धारित प्रतिशत से अधिक स्थानांतरण करना आवश्यक प्रतीत होते हैं तो निर्धारित प्रतिशत से अधिक होने वाले प्रकरणों में एकजाई रूप से **समन्वय में माननीय मुख्यमंत्रीजी से अनुमोदन प्राप्त किये जाकर, आदेश जारी किये जा सकेंगे।**

(4) स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा स्थानांतरण नीति पृथक से जारी की जावेगी।

7/- **इस स्थानान्तरण नीति से हटकर किये जाने वाले स्थानान्तरण के प्रकरणों में माननीय मुख्यमंत्रीजी के समन्वय में आदेश प्राप्त करने होंगे।**

8/- राज्य शासन द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार स्थानांतरण हेतु निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखा जाए:-

8.1 स्थानांतरण द्वारा रिक्त पदों की पूर्ति सबसे पहले अनुसूचित क्षेत्रों में की जाए। अनुसूचित क्षेत्रों में शत-प्रतिशत रिक्त पदों की पूर्ति होने के बाद ही गैर अनुसूचित क्षेत्रों में रिक्त पद स्थानांतरण द्वारा भरे जाएं। अनुसूचित क्षेत्रों में 3 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर ही स्थानांतरण किए जाएंगे, किन्तु ऐसे स्थानांतरण, उनकी जिले में पदस्थापना की वरिष्ठता के क्रम से किये जायें, अर्थात जो पूर्व से पदस्थ हों उसका स्थानांतरण

पहले किया जाये। अनुसूचित क्षेत्रों से गैर अनुसूचित क्षेत्रों में स्थानांतरित शासकीय सेवकों को तब तक भारमुक्त न किया जाये, जब तक कि उनके स्थान पर पदस्थ अधिकारी/कर्मचारी द्वारा पदभार ग्रहण न कर लिया गया हो, परंतु-

8.1.1 उक्त शर्त एक अनुसूचित क्षेत्र से दूसरे अनुसूचित क्षेत्र में स्थानांतरित अधिकारियों/कर्मचारियों पर लागू नहीं होगी।

8.1.2 अनुसूचित क्षेत्रों से गैर अनुसूचित क्षेत्रों में स्थानांतरित शासकीय सेवकों के रिलीवर की प्रतीक्षा किए बिना भारमुक्ति के विशिष्ट आपवादिक प्रकरणों में **विभागीय मंत्री द्वारा समन्वय में मुख्यमंत्रीजी का अनुमोदन प्राप्त कर निर्णय किया जा सकेगा।**

8.2 नवगठित जिलों में भी रिक्त पदों की पूर्ति प्राथमिकता के आधार पर की जाएगी। इन जिलों के रिक्त पदों की पूर्ति के उपरांत ही अन्य जिलों के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु कार्यवाही की जाएगी।

8.3 राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की पदस्थापना सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जिले में की जायेगी। जिले के भीतर डिप्टी कलेक्टर/संयुक्त कलेक्टर की अनुविभाग में पदस्थापना या अनुविभाग परिवर्तन, कलेक्टर द्वारा, जिला **प्रभारी मंत्री से परामर्श उपरान्त किया जा सकेगा ।**

8.4 तहसीलदार, अतिरिक्त तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार की जिले में पदस्थापना/स्थानांतरण जिला कलेक्टर द्वारा जिला **प्रभारी मंत्री के अनुमोदन उपरान्त ही किया जा सकेगा ।**

//5//

8.5 पुलिस विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के स्थानान्तरणों का नियमन मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग के आदेश क्रमांक एफ-1-73/1998/ब-2/दो, दिनांक 14.02.2007 द्वारा गठित पुलिस स्थापना बोर्ड के दिशा-निर्देशों के अनुरूप **विभागीय मंत्री के अनुमोदन उपरांत किया जावेगा।**

8.6 वन विभाग द्वारा वन परिक्षेत्र अधिकारियों की पदस्थापना वन वृत्त में की जाएगी। वन वृत्त के अंदर परिक्षेत्र में पदस्थापना संबंधित वन संरक्षक द्वारा की जाएगी। वन मंडल के अंदर वन परिक्षेत्र अधिकारियों से निम्न स्तर के अन्य कर्मचारियों के स्थानांतरण वन मंडल अधिकारी द्वारा **जिला प्रभारी मंत्री के अनुमोदन उपरांत किये जाएंगे।**

8.7 जिलों में पदस्थ प्रथम श्रेणी एवं द्वितीय श्रेणी के कार्यपालक अधिकारियों के एक ही स्थान पर तीन वर्ष की पदस्थापना पूर्ण कर लेने पर जिले से अन्यत्र प्राथमिकता पर स्थानांतरण किया जा सकेगा। तृतीय श्रेणी कार्यपालिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों का भी एक ही स्थान पर सामान्यतः 3 वर्ष या उससे अधिक पदस्थापना की अवधि पूर्ण कर लेने के कारण स्थानांतरण किया जा सकेगा। इसका आशय यह है कि जिन आधारों पर स्थानान्तरण किया जा सकता है उनमें एक आधार यह भी है। यह अनिवार्य नही है कि 3 वर्ष पूर्ण होने पर स्थानान्तरण किया ही जावे। वर्क्स एवं रेगुलेटरी विभागों को छोड़कर अन्य विभागों में मात्र 3 वर्ष की अवधि को ही स्थानांतरण का आधार न बनाया जाये। चिकित्सक आदि लंबे समय तक एक ही स्थान पर पदस्थ रह सकते हैं। इसी प्रकार न्यायालयीन निर्णय के अनुपालन, गंभीर शिकायतों, रिक्त

पदों की पूर्ति, पदोन्नति एवं प्रतिनियुक्ति से वापसी के प्रकरण में विभाग स्वविवेक से निर्णय लेकर स्थानान्तरण कर सकता है। आशय यह है कि इन आधारों पर 3 वर्ष के पूर्व भी स्थानान्तरण किये जा सकेंगे। कार्यपालिक अधिकारियों को एक ही स्थान पर तीन वर्ष से अधिक समय तक की पदस्थापना हेतु **विभागीय मंत्री की अनुमति प्राप्त की जावेगी।** किसी भी तृतीय श्रेणी कार्यपालक अधिकारी को एक ही जिले में पांच वर्ष से अधिक समय की अवधि की पदस्थापना के लिये **विभागीय मंत्री के अनुमोदन से रखा जा सकेगा।**

8.8 परियोजना का कार्य पूर्ण होने पर अथवा पद अन्यत्र स्थानांतरित किए जाने के कारण स्थानांतरण किया जा सकेगा।

8.9 **स्वयं के व्यय पर आपसी स्थानांतरण-** स्वयं के व्यय पर स्थानांतरण हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले आवेदन पर आवेदक के हस्ताक्षर उसके कार्यालय प्रमुख के द्वारा सत्यापित किए जाएं। स्वंयं के व्यय पर रिक्त पद/परस्पर किये गये स्थानांतरण तथा प्रशासनिक कारणों से किये गये स्थानांतरण संबंधी आदेश अलग-अलग जारी किये जाए

8.10 जिन अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवा-निवृत्ति में एक वर्ष या उससे कम समय शेष हो, सामान्यत: उनका स्थानांतरण नहीं किया जाए। यदि प्रशासनिक कारणों से स्थानांतरण करना आवश्यक हो तो उनके द्वारा दिये गये विकल्प के अनुसार स्थानांतरण किये जाने पर विचार किया जाए।

8.11 पति-पत्नी के स्वयं के व्यय पर एक ही साथ पदस्थापना के लिए आवेदन पत्र प्राप्त होने पर स्थानांतरण किया जा सकेगा, परन्तु पदस्थापना का स्थान प्रशासकीय आवश्यकता के अनुरूप निर्धारित होगा। इसका आशय यह नहीं है कि पति/पत्नी यदि एक ही जिले/मुख्यालय में कार्यरत हों तो उनका स्थानान्तरण नहीं किया जा सकता है।

8.12 कैंसर जैसी टर्मिनल तथा अत्यंत गंभीर बीमारी, किडनी खराब होने के कारण डायलेसिस करवाने या ओपन हार्ट सर्जरी के कारण नियमित जांच कराना आवश्यक हो और वर्तमान पदस्थापना के स्थान पर ऐसी सुविधा उपलब्ध न हो तो जिला मेडिकल बोर्ड की अनुशंसा पर शासकीय सेवक द्वारा स्थानांतरण चाहने पर स्थानांतरण किया जा सकेगा।

8.13 शिकायती जांच के परिणामस्वरूप प्रथम दृष्टि में दोष सिद्ध पाये जाने पर संबंधित अधिकारी/कर्मचारी का स्थानांतरण किया जा सकेगा । यदि किसी कर्मचारी को शिकायत या अन्य प्रशासनिक कारणों से किसी स्थान से पूर्व में स्थानांतरित किया गया हो तो उसे पुन: उसी स्थान पर पदस्थ नहीं किया जावेगा।

8.14 ऐसे नि:शक्त कर्मचारी, जिनकी निशक्तता 40 प्रतिशत या उससे अधिक हो, के सामान्यत: स्थानांतरण न किये जायें, किन्तु उनके द्वारा स्वयं के व्यय पर स्वेच्छा से स्थानांतरण का आवेदन देने पर स्थानांतरण पर विचार किया जा सकेगा।

8.15 ऐसे शासकीय अधिकारियों/कर्मचारियों को जिनके पति/पत्नी एवं पुत्र/पुत्री मानसिक निःशक्तता, **स्वलीन** (Autism) अथवा बहुआयामी निःशक्तता से पीड़ित है, को स्वयं के व्यय पर ऐसी जगह पर पदस्थापना करने के संबंध में विचार किया जा सकेगा, जहां निःशक्तता से पीड़ित का उपचार एवं पुत्र/पुत्री को शिक्षा सुलभ हो सके, बशर्ते कि वे ऐसी निःशक्तता के उपचार/शिक्षा के लिए मान्यता प्राप्त संस्थान से इस बारे में समुचित प्रमाण प्रस्तुत करें।

8.15.1 कमीशन प्राप्त एन.सी.सी.अधिकारियों के स्थानांतरण करते समय इस बात का ध्यान रखा जाय कि जिन स्थानों पर अधिकारियों का स्थानांतरण किया जाता है उन स्थानों पर एन.सी. सी. की संबंधित इकाई संचालित हो।

8.16 किन्हीं भी कार्यपालिक कर्मचारियों/अधिकारियों को उनके गृह जिले में स्थानांतरण के द्वारा अथवा पदोन्नति की स्थिति में सामान्यतः पदस्थ न किया जाए, किन्तु अविवाहित, विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिलाओं के प्रकरणों में उनके गृह जिले में स्थानांतरण किया जा सकेगा।

8.16.1 कृषि विकास संचालनालय एवं कृषि अभियांत्रिकीय संचालनालय के अधीनस्थ तृतीय श्रेणी कार्यपालिक **कर्मचारियों को उनके गृह तहसील/विकास खण्ड को छोड़कर गृह जिले में स्थानांतरण के द्वारा पदस्थ किया जा सकेगा।**

8.17 जिन कार्यालयों में निर्धारित मापदंड से अधिक स्टाफ है, उसे अन्यत्र स्थानांतरित कर युक्तियुक्तकरण किया जावे।

8.18 उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा 1.7.2008 से प्रारंभ शैक्षणिक सत्र से सेमिस्टर पद्धति लागू करने का निर्णय लिया गया है जिसके अंतर्गत कक्षाएं 01जुलाई से प्रारंभ की जाती हैं, अतः स्थानांतरण पर प्रतिबंध की अवधि में शैक्षणिक विभागों के लिये छूट दिनांक 1.5.2015से प्रारंभ कर यह छूट दिनांक 15.6.2015 तक प्रदाय की जाती है।

8.19 तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग तथा उच्च शिक्षा विभाग के जिन संस्थाओं विद्यालयों/महाविद्यालयों में विषयवार निर्धारित संख्या से अधिक शिक्षक कार्यरत हों, वहां से अतिशेष शिक्षकों को अन्यत्र पदस्थ किया जाये। ऐसा करने में कनिष्ठतम शिक्षक को अतिशेष कर्मचारी होने की स्थिति में सबसे पहले स्थानांतरित किया जाए, किन्तु मानवीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए महिला, 40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांगता वाले विकलांग एवं ऐसे शिक्षक जिनकी सेवानिवृत्ति में एक वर्ष से कम समय शेष है, उन्हें अतिशेष मान कर स्थानांतरित नहीं किया जाये। स्वीकृत पद से अधिक पदस्थापना किसी भी स्थिति में न की जावे। पदस्थापना के समय विषयवार रिक्ति का ध्यान रखा जाये एवं तदनुसार ही पदस्थापना की जाये।

8.20 राज्य शासन से पत्राचार करने की मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठनों के **प्रदेश/संभाग/जिला/तहसील/विकास खण्ड शाखा के**

//10//

पदाधिकारियों यथा-अध्यक्ष/सचिव/कोषाध्यक्ष को पद पर नियुक्ति उपरांत स्थानांतरण से दो पदावधि के लिये अर्थात 4 वर्ष तक की सामान्यत: छूट प्राप्त होगी। यह सुविधा उसके पूरे सेवाकाल में नियमानुसार दो पदावधि के लिये मिलेगी। 4 वर्ष से अधिक पदस्थापना अवधि पूर्ण होने पर प्रशासकीय आवश्यकता अनुसार ऐसे पदाधिकारियों को भी स्थानांतरित किया जा सकेगा। संगठन के पदों में नियुक्ति की पूर्व सूचना के संबंध में सक्षम प्राधिकारी की संतुष्टि का आधार मुख्य होगा। इस संबंध में शासन के पत्र क्रमांक एफ 10-6/05/1-15/क.क. दिनांक 24 अप्रैल, 2006 के प्रावधानों का अवलोकन करें, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठनों द्वारा निर्वाचन के पश्चात् निर्वाचित पदाधिकारियों की सूची उनके कार्यकाल सहित संबंधित कलेक्टर को दी जायेगी इसके साथ-साथ संबंधित विभाग प्रमुख, जहां वे कार्यरत हों, तथा सामान्य प्रशासन विभाग (कर्मचारी कल्याण प्रकोष्ठ) को दिनांक 30 अप्रैल की स्थिति में सौंप दी गई हो, उन्हीं पदाधिकारियों को स्थानांतरण से छूट का लाभ दिया जाना चाहिए।

8.21 लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत अस्पतालों/डिस्पेंसरी में कार्यरत डाक्टर्स/नर्स/स्टाफ का युक्तियुक्तकरण किया जाये।

8.22 किसी भी स्थापना में स्वीकृत पदों से अधिक पदस्थापना नहीं की जावेगी।

8.23 क्रय/स्टोर/स्थापना शाखा में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को सामान्यत: 3 वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर अन्य शाखा में/अन्य स्थान पर पदस्थ किया जाए। जो अधिकारी/कर्मचारी वित्तीय अनियमितताओं एवं शासकीय धन के दुरूपयोग/गबन आदि के प्रकरणों में प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाएं, उन्हें ऐसे पदों से हटाया जाए। ऐसे दोषी कर्मचारियों को पुनः ऐसे पद पर पदस्थ न किया जाए।

8.24 माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर ने याचिका क्रमांक 14195/2007(एस) में पारित निर्णय/आदेश दिनांक 20.11.2008 में शासन द्वारा कर्मचारियों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण में स्थानांतरण नीति के अंतर्गत जारी निर्देशों का ध्यान नहीं रखने पर टिप्पणी की है, जैसे- बिना रिक्त पद के स्थानांतरण किया जाना। पद रिक्त न होने के कारण कर्मचारियों को न्यायालय की शरण में जाना पड़ता है, अतः विभाग आदेश जारी करने के पूर्व यह सुनिश्चिंत कर लें कि जिस अधिकारी/कर्मचारी का स्थानांतरण जहां किया जा रहा है वहां पद रिक्त है या नहीं। आदेश जारी करने के पूर्व, विभाग द्वारा पद रिक्तता का पालन सुनिश्चित कराने का दायित्व विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव का रहेगा तथा विभागाध्यक्ष स्तर से किये गये स्थानांतरण में दायित्व विभागाध्यक्ष का रहेगा। स्थानांतरण संबंधी प्रकरणों में मान. उच्च न्यायालय द्वारा पुनर्विचार करने हेतु निर्देशित किये जाने पर ऐसे प्रकरणों पर आवेदक के अभ्यावेदन के सभी बिन्दुओं पर विचार करते हुए कारण सहित बोलता हुआ

//12//

आदेश (Speaking order) किया जाय जिसकी प्रति अभ्यावेदक को भी दी जावे।

8.25 जिस जिले में अधिकारी पूर्व में पदस्थ रह चुके हों, वहां उनकी उसी पद पर पुनः पदस्थापना सामान्यतः नहीं की जाए।

8.26 राज्य शासन की उच्च प्राथमिकता वाली योजनाओं में न्यूनतम स्थानांरण किये जायें एवं इन योजनाओं में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानांतरण, योजना क्रियान्वयन विभाग की अनापत्ति के बिना न किए जाएं।

8.27 संलग्न तालिका में सम्मिलित कम लिंगानुपात वाले 09 जिलों में उच्च प्रशासनिक पदों पर यथासंभव महिला अधिकारियों की पदस्थापना की जावे।

8.28 जिन अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध नैतिक पतन संबंधी आपराधिक प्रकरण लंबित हों, उनकी तैनाती कार्यपालिक (executive) पदों पर न की जाए। ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों जिनके विरूद्ध विभागीय जांच लंबित हो, की पदस्थापना सामान्यतः कार्यपालिक (executive) पदों पर नहीं की जाए।

9. नक्सल प्रभावित जिलो में समस्त विभागों द्वारा योग्य एवं सक्रिय अधिकारियों की पदस्थापना की जावे एवं पदस्थ अधिकारियों /कर्मचारियों का स्थानान्तरण सामान्यतः दो वर्ष की अवधि से पूर्व नहीं किया जावे।

10. **<u>प्रतिबंध अवधि के दौरान स्थानांतरण-</u>**

10.1 प्रतिबंध अवधि के दौरान मुख्य रूप से न्यायालयीन निर्णय के अनुपालन, गंभीर शिकायतों, रिक्त स्थान की पूर्ति, पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति से वापसी के प्रकरणों में स्थानांतरण किए जा सकेंगे।

10.2 प्रतिबंधित अवधि के दौरान उक्त कंडिका 10.1 की स्थिति में प्रथम श्रेणी अधिकारियों के स्थानान्तरण के प्रकरणों में मान. मुख्यमंत्रीजी का समन्वय में अनुमोदन लेकर आदेश जारी किए जाए। कंडिका 10.1 से अन्यथा स्थिति में प्रतिबंधित अवधि में स्थानान्तरण समन्वय में आदेश प्राप्त किए बिना नहीं किए जाएंगे।

10.3 प्रतिबंध की अवधि के दौरान तहसील स्तर के संवर्गों के कर्मचारियों का तहसील के अंदर तथा जिला स्तर के संवर्गों के कर्मचारियों का जिले के अंदर प्रशासकीय दृष्टि से अत्यंत आवश्यक होने पर स्थानांतरण आदेश जिला कलेक्टर द्वारा प्रभारी मंत्री से अनुमोदन प्राप्त कर जारी किये जा सकेंगे।

10.4 प्रतिबंध अवधि के दौरान पुलिस विभाग के जिला स्तर के संवर्गों के कर्मचारियों का जिले के अंदर प्रशासकीय दृष्टि से अत्यंत आवश्यक होने पर स्थानांतरण आदेश प्रभारी मंत्री के अनुमोदन उपरांत पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी किये जाएंगे। यह स्थानांतरण विशेष परिस्थितियों में ही किये जा सकेंगे।

10.5 आदेश जारी करने के पूर्व, विभाग द्वारा स्थानांतरण नीति के महत्वपूर्ण मार्गदर्शी सिद्धांतों का पालन सुनिश्चित कराने का

दायित्व विभाग के प्रमुख सचिव/सचिद का रहेगा तथा विभागाध्यक्ष स्तर से किये गये स्थानांतरण में दायित्व विभागाध्यक्ष का रहेगा। जिला स्तर पर यह दायित्व संबंधित विभागीय अधिकारी का रहेगा।

11/- यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि स्थानांतरण आदेश का निरस्तीकरण अथवा संशोधन स्थानांतरण की श्रेणी में ही आता है। अतएव ऐसे प्रकरणों में स्थानांतरण पर प्रतिबंध की अवधि में स्थानांतरण के लिये निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण आवश्यक है। जहॉ तक एक ही मुख्यालय पर स्थित अलग-अलग कार्यालयों में पदस्थ अधिकारियों के स्थानांतरण का प्रश्न है, इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि एक ही मुख्यालय पर स्थित एक कार्यालय से उसी मुख्यालय पर स्थित दूसरे कार्यालय में प्रशासकीय दृष्टि से स्थानीय परिवर्तन सक्षम अधिकारियों द्वारा किया जा सकता है।

11.1 एक ही मुख्यालय में स्थित एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में किया गया स्थानांतरण स्थानीय व्यवस्था है, इसे स्थानांतरण की श्रेणी में नहीं लिया जाएगा।

12/- **कार्यमुक्ति हेतु समयावधि -**
स्थानांतरण आदेश जारी होने के दो सप्ताह के भीतर स्थानांतरित अधिकारी/कर्मचारी को कार्यमुक्त किया जाना अनिवार्य होगा।

12.1 **कार्यमुक्ति की अवधि में वृद्धि -**
यदि किन्हीं महत्वपूर्ण लंबित शासकीय कार्यों को निपटाने के

लिए कार्यमुक्त करने में कठिनाई हो तो कार्यमुक्त करने के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा स्थानांतरण आदेश जारी करने वाले अधिकारी से पूर्वोक्त दो सप्ताह की अवधि बढ़ाने का तत्काल अनुरोध किया जाएगा। स्थानांतरण आदेश जारी करने वाला अधिकारी लिखित में कार्यमुक्त होने की अवधि को 10 दिवस से अनाधिक बढ़ा सकेगा। ऐसी बढ़ी हुई अवधि तक ही स्थानांतरित अधिकारी/कर्मचारी पूर्व पदस्थापना पर रोका जा सकेगा।

12.2 एकतरफा कार्यमुक्ति -

यथा स्थिति; दो सप्ताह की सामान्य समयावधि अथवा बढ़ी हुई समयावधि व्यतीत हो जाने पर, सक्षम प्राधिकारी या उससे वरिष्ठ स्तर का अधिकारी स्थानांतरित अधिकारी /कर्मचारी को कार्यमुक्त करेगा। उक्त अवधि में स्थानांतरित अधिकारी/कर्मचारी यदि कार्यमुक्त नहीं होता है, तो उसे एक तरफा कार्यमुक्त किया जाएगा। एक तरफा कार्यमुक्त करने की तिथि से स्थानांतरण आदेश क्रियान्वित होना माना जाएगा।

12.3 वेतन आहरण -

स्थानांतरण आदेश के क्रियान्वयन के लिए पूर्वोक्त कंडिकाओं में निर्धारित अवधि के पश्चात् स्थानांतरित अधिकारी/कर्मचारी का वेतन आहरण पूर्व पदस्थापना से बंद हो जाएगा। यदि इसके विपरीत वेतन आहरित होता है, तो यह वित्तीय अनियमितता मानी जाएगी। कार्यमुक्ति के तत्काल पश्चात्

अंतिम वेतन प्रमाण पत्र तथा अन्य सेवा अभिलेख आवश्यक रूप से नवीन पदस्थापना कार्यालय को भिजवा दिए जाएंगे। इसके लिए कार्यालय प्रमुख, आहरण व संवितरण अधिकारी विशेष रूप से उत्तरदायी होगा।

ii कार्यमुक्त होने के पश्चात् स्थानांतरित अधिकारी/कर्मचारी का वेतन नवीन पदस्थापना से ही आहरित होगा।

12.4 अवकाश स्वीकृति -

कार्यमुक्त होने के पश्चात् एवं नवीन पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण करने के मध्य की अवधि के किसी भी प्रकार का अवकाश प्रशासकीय विभाग के माध्यम से सामान्य प्रशासन विभाग का अभिमत प्राप्त करने के पश्चात् ही स्वीकृत किया जा सकेगा।

12.5 अपालन की स्थिति में अनुशासनात्मक कार्यवाही -

स्थानांतरण आदेश का बिना युक्तिसंगत कारणों से अपालन, बिना पूर्वानुमति एवं स्वीकृति के अवकाश पर प्रस्थान करने वाले अधिकारी, कर्मचारी के विरूद्ध पृथक से अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारंभ की जावे।

13/- स्थानांतरित किये गये शासकीय सेवक का अवकाश नई पदस्थापना वाले कार्यालय से ज्वाइन करने के पश्चात् स्वीकृत किया जायेगा।

14/- स्थानांतरण के विरुद्ध अभ्यावेदन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 6-1/2005/1/9 दिनांक 10.5.2005, 29.7.2005, 9.8.2005 एवं 29.10.2005 द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत

निपटाए जायेंगे। जहाँ तक कलेक्टर/विभागीय अधिकारी, वन संरक्षक एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी किए गये स्थानांतरण आदेशों के विरूद्ध अभ्यावेदन का प्रश्न है, इनका निराकरण संबंधित विभागों के विभागाध्यक्ष द्वारा किया जाएगा।

15/- कर्मचारियों/अधिकारियों को दोहरा प्रभार नहीं दिया जावेगा। विशेष परिस्थितियों में यह व्यवस्था किये जाने पर औचित्य दर्शाया जाना आवश्यक होगा।

16/- सामान्यतः स्थानांतरण द्वारा रिक्त होने वाले पद की पूर्ति उसी पद के समकक्ष अधिकारी की पदस्थापना से की जाए। नियमित अधिकारी/कर्मचारी का स्थानांतरण कर उस पद का प्रभार कनिष्ठ अधिकारी को न दिया जाए।

17/- सभी प्रकार के संलग्नीकरण समाप्त किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

18/- विभागीय प्रमुख सचिव/विभागाध्यक्ष जारी किये गये स्थानांतरण आदेश की एक प्रति आदेश जारी होने के दिनांक को ही सामान्य प्रशासन विभाग के ई-मेल psgad@mp.gov.in पर प्रेषित करेंगे। प्रमुख सचिव/विभागाध्यक्ष इस मेल को भेजने के लिये स्वतः उत्तरदायी होंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार,

15/4/2015
(के. सुरेश)
प्रमुख सचिव
मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

क्रमांक एफ 6-1/2015/एक/9 भोपाल, दिनांक 15 अप्रैल, 2015

प्रतिलिपि,

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, भोपाल।
2. अध्यक्ष, राजस्व मंडल, म.प्र. ग्वालियर।
3. प्रमुख सचिव, म.प्र. विधानसभा सचिवालय, भोपाल।
4. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, म.प्र. जबलपुर।
5 सचिव, लोकायुक्त,म.प्र. भोपाल।
6. सचिव, म.प्र. लोक सेवा आयोग, म.प्र. इंदौर।
7. विशेष सहायक/निज सचिव, मुख्यमंत्री/मंत्री/राज्यमंत्री, म.प्र. शासन।
8. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी म.प्र. भोपाल।
9. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग/राज्य सूचना आयोग, म.प्र. भोपाल।
10. महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता/अधिवक्ता, म.प्र. जबलपुर/इंदौर/ग्वालियर।
11. महालेखाकार म.प्र. ग्वालियर/भोपाल।
12. अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मंडल/माध्यमिक शिक्षा मंडल म.प्र. भोपाल।
13. प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
14. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग भोपाल।
15. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, म.प्र. भोपाल।
16. प्रमुख सचिव (समन्वय), मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
17. अवर सचिव, स्थापना/अधीक्षण/अभिलेख/मुख्य लेखाधिकारी, म.प्र. भोपाल।
18. अध्यक्ष, म.प्र. राज्य कर्मचारी कल्याण समिति, भोपाल।
19. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन/संघों,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(बी.आर.विश्वकर्मा)
उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

स्थानांतरण नीति वर्ष 2015-16 (बिन्दु क्र. 8.27)

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश के 900 से कम लिंगानुपात वाले जिलों की तालिका

क्रमांक	जिले का नाम	लिंगानुपात
1.	मुरैना	839
2	भिण्ड	838
3.	ग्वालियर	862
4.	शिवपुरी	877
5.	दतिया	875
6.	छतरपुर	884
7.	सागर	896
8.	विदिशा	897
9.	रायसेन	899

मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय,
वल्लभ भवन, भोपाल–462004

क्रमांक एफ 6–1/2015/एक/9 भोपाल, दिनांक 20/05/2015

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश।

विषयः– राज्य एवं जिला स्तर पर अधिकारियों/कर्मचारियों की स्थानांतरण नीति वर्ष 2015–16

संदर्भः– इस विभाग का समसंख्यक ज्ञापन दिनांक 15 अप्रैल,2015

––0––

कृपया संदर्भित ज्ञापन का अवलोकन करें। राज्य एवं जिला स्तर पर अधिकारियों/कर्मचारियों की स्थानांतरण नीति दिनांक 15 अप्रैल, 2015 के द्वारा वर्ष 2015–16 के लिए दिनांक 15.4.2015 से 15.5.2015 तक की अवधि के लिए स्थानांतरण पर प्रतिबंध शिथिल किया गया है।

2/– **राज्य शासन द्वारा विचारोपरान्त स्थानांतरण पर प्रतिबंध से छूट की अवधि को दिनांक 30.5.2015 तक बढ़ाया जाता है।**

(के0के0कातिया) 20/5/15
अतिरिक्त सचिव
मध्य प्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ0क्रमांक एफ 6–1/2015/एक/9 भोपाल, दिनांक 20/05/2015

प्रतिलिपिः–

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, भोपाल।
2. अध्यक्ष, राजस्व मंडल, म.प्र. ग्वालियर।
3. प्रमुख सचिव, म.प्र. विधानसभा भोपाल।
4. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, म.प्र. जबलपुर।
5. सचिव, लोकायुक्त, म.प्र. भोपाल।
6. सचिव, म.प्र. लोक सेवा आयोग, म.प्र. इंदौर।
7. विशेष सहायक/निज सचिव, मुख्यमंत्री/मंत्री/राज्यमंत्री, म.प्र.शासन।
8. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी म.प्र. भोपाल।
9. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग/राज्य सूचना आयोग, म.प्र. भोपाल।
10. महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता/अधिवक्ता, म.प्र.जबलपुर/इंदौर/ग्वालियर।
11. महालेखाकार म.प्र. ग्वालियर/भोपाल।
12. अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मंडल/माध्यमिक शिक्षा मंडल म.प्र. भोपाल।
13. प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय,भोपाल।
14. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल।
15. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, म.प्र. भोपाल।
16. प्रमुख सचिव (समन्वय) मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
17. अवर सचिव, स्थापना/अधीक्षण/अभिलेख/मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, भोपाल।
18. अध्यक्ष, म.प्र. राज्य कर्मचारी कल्याण समिति, भोपाल।
19. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन/संघों,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अतिरिक्त सचिव 20/5/15
मध्य प्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग